संख्या-82/2020/370/पांच-6-2020-03(निर्माण)/2019 टी0सी0

प्रेषक

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2020**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यभान पट्टी, जनपद सुल्तानपुर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13188/17फ/नि0नि0अ0/2019-20, दिनांक 27.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-58/2019/568/पॉच-6-2019-03(निर्माण)/19, दिनांक 08.03.2019 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08.03.2019 के द्वारा रू0 135.86 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 47.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यभान पट्टी, जनपद सुल्तानपुर के भवन निर्माण हेतु मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 88.86 लाख (रूपया अट्ठासी लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 व शासनादेश संख्या-58/2019/568/पॉच-6-2019-03(निर्माण)/19, दिनांक 08.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की होगी।
3. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्तिद्विरावृत्ति न हो।
5. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
7. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
8. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. प्रायोजना के निर्माण कार्य में पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-32 लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103 प्राथ0स्वा0केन्द्र-04 नये प्राथ0स्वा0केन्द्रों का भवन निर्माण (चालू अंश जिला योजना) 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है। अतः उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-82/2020/370(1)/पांच-6-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम , द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. निदेशक (पी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लि0, लखनऊ/सुल्तानपुर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।